रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)]
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 64] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 4, 1976/माघ 15, 1897
No. 64] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 4, 1976/MAGHA 15, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

[Border Security Force (II) Section (G & Q)]

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 4th February 1976

S.O. 81(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) Sub-Section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Manipur, for a period of six months with effect from 7th February, 1976 as active duty.

[No. F.14/15/75-OPS/BSF]

गृह मंत्रालय

[सीमा सुरक्षा बल (II) अनुभाग (जी एण्ड क्यू)]

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 1976

का० आ० 81 (अ).—सा० नि० सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार

एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 7-2-76 से 6-8-76 तक छः मास के लिए मनीपुर से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी ।

[सं० फा० 14/15/75-ओप्स/बी० एस०एफ०]

S.O. 82(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) Sub-Section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Maharashtra, for a period of six months with effect from 10th February, 1976 as active duty.

[No. F.14/15/75-OPS/BSF]

का० आ० 82(अ).—सा० नि० सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उप-धारा (i) के खण्ड (क) उपबन्धों के अनुसरण मे केन्द्रीय सरकार एतद्-द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 10-2-76 से 6-8-76 तक छः मास के लिए महाराष्ट्र से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी ।

[सं० फा० 14/15/75-ओप्स/बी० एस० एफ०]

S.O. 83(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) Sub-Section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Madhya Pradesh, for a period of six months with effect from 13th February, 1976 as active duty.

[No. F.14/15/75-OPS/BSF]

का० आ० 83(अ).—सा० नि० सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उप-धारा (i) के खण्ड (क) उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्-द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 13-2-76 से 12-8-76 तक छः मास के लिए मध्य प्रदेश से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।

[सं० फा० 14/15/75-ओप्स/बी० एस० एफ०]

S.O. 84(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) Sub-Section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Mysore, for a period of six months with effect from 17th February, 1976 as active duty.

[No. F.14/15/75-OPS/BSF]

का० आ० 84 (अ).—सा० नि० सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उप-धारा (i) के खण्ड (क) उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 17-2-76 से 16-8-76 तक छः मास के लिए मैसूर से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।

[सं० फा० 14/15/75-ओप्स/बी० एस० एफ०]

S.O. 85(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) Sub-Section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a)

serving in Andhra Pradesh, for a period of six months with effect from 23rd February, 1976 as active duty.

[No. F.14/15/75-OPS/BSF]

का० आ० 85(अ).—सा० नि० सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 23-2-76 से 22-8-76 तक छः मास के लिए आंध्र प्रदेश से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।

[सं० फा० 14/15/75-ओप्स/बी० एस० एफ०]

S.O. 86(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) Sub-Section (1) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Uttar Pradesh, for a period of six months with effect from 28th February 1976 as active duty.

[No. F.14/15/75-OPS/BSF]

C. G. SOMIAH, Jt. Secy.

का० आ० 86(अ).—सा० नि० सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 28-2-76 से 27-8-76 तक छः मास के लिए उत्तर प्रदेश से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।

[सं० फा० 14/15/75-ओप्स/बी० एस० एफ०]

सी० जी० सोमैया, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976